



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102026-276881
CG-DL-E-07102026-276881

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5131]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2026/आश्विन 7, 1948

No. 5131]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2026/ASVINA 7, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2026

का.आ. 5338(अ).— जबकि भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि M/s JSW Steel Limited, रायगढ़ के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी (एलएमसी) जो कि GAIL के मुंबई-नागपुर-झारसुगुडा पाइपलाइन नेटवर्क पर स्थित SV-39 जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से प्रारंभ होकर M/s JSW Steel Limited, रायगढ़ तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मेसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछायी जायेगी।

और भारत सरकार को उक्त पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि जिसमें उक्त पाइप लाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि के उपयोग अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब भारत सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती है, 21 दिन के भीतर उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने की सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य मेसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड, दूसरी मंजिल, फोरम बिजनेस सेंटर, भाटागांव, रायपुर (सी.जी.) 492001 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य में रायगढ़ स्थित मेसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी (एलएमसी)						
अनुसूची						
राज्य : छत्तीसगढ़						
जिला	तहसील	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5		
रायगढ़	खरसिया	तिलाईपाली	11	00	04	00

[फा. सं. एल-14014 / 130 / 2022-जीपी- II (ई-43334)]

राजन कुमार साव, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2026

S.O. 5338(E).— whereas it appears to Government that it is necessary in the public interest that for transportation of Natural Gas through Last mile Connectivity (LMC) to M/s JSW Steel Limited Raigarh, Originating from SV-39 at District Raigarh, Chhattisgarh on GAIL'S Mumbai-Nagpur-Jharsuguda Pipeline Network and terminating at M/s JSW Steel Limited Raigarh in the state of **Chhattisgarh**, a Pipeline should be laid by M/s. GAIL (India) Limited.

And whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act 1962 (50 of 1962), Government of India hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule, may within twenty-one days from the date on which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the General Public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, State of **Chhattisgarh**, M/s. GAIL (India) Limited .2nd Forum Business Centre, Chowk, beside Indian Oil Pump, Bhatagaon, Raipur, (C.G.) 492013.

SCHEDULE

Last mile Connectivity (LMC) to M/s JSW Steel Limited Raigarh, in the state of Chhattisgarh						
SCHEDULE						
State : Chhattisgarh						
District	Tehsil	Village	Survey No.	Area		
				Hect.	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5		
RAIGARH	KHARSIA	TILAIPALI	11	00	04	00

[F. No. L-14014 /130/2022-GP - II (E-43334)]

RAJAN KUMAR SHAW, Under Secy.